भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 949

उत्तर देने की तारीख- 05/02/2026

वैयक्तिक और सामुदायिक वन अधिकार दावे

†949. श्री राहुल सिंह लोधी:
श्री महेश कश्यप:
श्री तापिर गाव:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री भोजराज नाग:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी:
श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत:
श्री गोडम नागेश:
श्री नव चरण माझी:
डॉ. राजेश मिश्रा:
श्री बलभद्र माझी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने वैयक्तिक और सामुदायिक वन अधिकार दावों को निपटाया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने दावों को अस्वीकृत किया गया है और अस्वीकृति के प्रमुख कारण क्या हैं और उक्त क्षेत्रों के प्रभावित दावेदारों को प्रदान की गई अपीलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिला-स्तरीय समितियों को विशेषकर जनजातीय और वन-प्रधान जिलों में लंबे समय से लंबित या पहले अस्वीकृत हो चुके दावों की समीक्षा करने का निदेश दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी समीक्षाओं की राज्य-वार और विशेषकर महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के संदर्भ में जिला-वार स्थिति क्या है; और

(ड.) राज्यों द्वारा वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रावधानों की एकसमान व्याख्या और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में जनजातीय कार्य मंत्रालय की भूमिका क्या है और दावा प्रक्रिया पूरी होने तक पात्र वनवासियों को बेदखल होने से रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय लागू किए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): 'अनुसूचित जनजातियां और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006' के प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार, राज्य सरकारें अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं और इन्हें 20 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में लागू किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय (एमओटीए) राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) की निगरानी करता है।

राज्यों द्वारा दी गई नवीनतम सूचना (रिपोर्ट) और 31.12.2025 तक एमपीआर के तहत एकत्रित की गई सूचना (रिपोर्ट) के अनुसार, कुल 44,33,940 (85.40%) दावों का निपटारा किया गया है (निर्णय लिया गया है), जिसमें 42,56,845 वैयक्तिक और 1,77,095 सामुदायिक दावे शामिल हैं। इसके अलावा, पिछले तीन वर्षों में, अर्थात 01.01.2023 से 01.01.2026 तक, **कुल 4,43,247 दावों का निपटारा किया गया है (निर्णय लिया गया है), जिसमें 4,10,135 वैयक्तिक और 33,112 सामुदायिक दावे शामिल हैं**। पिछले तीन वर्षों के दौरान निपटाए गए दावों का राज्य-वार विवरण, साथ ही दायर किए गए दावों, संवितरित स्वामित्व अधिकार पत्र और अस्वीकृत किए गए दावों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, संचयी रूप से 31 दिसंबर 2025 तक **कुल 18,90,360 (36.41%) दावों को अस्वीकृत किया गया है, जिसमें 18,36,594 वैयक्तिक और 53,766 सामुदायिक दावे शामिल हैं**। और पिछले तीन वर्षों में, कुल 1,60,715 दावों को अस्वीकृत किया गया है।

ओडिशा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों से मिली सूचना के आधार पर, दावों को अस्वीकृत करने के मुख्य कारण हैं - दावा की गई ज़मीन पर 13 दिसंबर 2005 से पहले कब्ज़ा नहीं था, एक ही ज़मीन पर दोहरे दावे दायर किए गए, गैर-वन भूमि पर दावे, साक्ष्यों की कमी, ओटीएफडी 3 पीढ़ियों के निवास को प्रमाणित नहीं कर पाए, आदि। इसके अलावा, राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने दावों पर अपीलों के बारे में जानकारी प्रदान नहीं की है।

(ग) और (घ): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न समीक्षा बैठकों में और पत्रों के माध्यम राज्यों से समय सीमा के भीतर एफआरए के तहत दावों पर विचार करने को कहा है और दावों को निपटाने में अगर कोई रुकावटें हैं, तो उन्हें दूर करने के लिए ज़िलों के साथ मिलकर काम करने के लिए कहा है। इसके अलावा, एफआरए को पूरी तरह से लागू करने के लिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने दो साल की अवधि के लिए राज्य और ज़िला/उप-खंड (सब-डिवीजन) स्तर पर समर्पित एफआरए सेल स्थापित कर ज़िलों को सहयोग दिया है। इसके अलावा, जनवरी 2025 में एक डीसी/डीएम राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 87 जिलों के डीसी/डीएम (महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा के डीसी/डीएम सहित), राज्यों/संबंधित मंत्रालयों के अधिकारियों ने भाग लिया। एफआरए लागू करने की ज़िला-वार प्रगति की समीक्षा की गई और भाग लेने वाले डीसी/डीएम से सभी लंबित एफआरए दावों को निपटाने का अनुरोध किया गया।

(ङ): जनजातीय कार्य मंत्रालय, एफआरए के विधायी मामलों की निगरानी और प्रशासन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते, अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्ति (अधिकार) का प्रयोग करके, राज्यों द्वारा वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) के प्रावधानों की एक समान व्याख्या करने और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर निदेश और दिशा-निर्देश जारी करता रहा है। मंत्रालय सभी राज्य सरकारों से एफआरए में दिए गए प्रावधानों का अनुपालन करने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह करता रहा है कि सभी पात्र दावेदारों को उनको देय उनके हक के अधिकार दिए जाएं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न समीक्षा बैठकों और पत्रों के माध्यम से राज्यों से कहा है कि वे अन्य बातों के साथ-साथ, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति (एसएलएमसी) की बैठकें कम से कम तीन महीने में एक बार करें, ताकि वन अधिकारों की मान्यता, सत्यापन और प्रदान करने की प्रक्रिया की निगरानी की जा सके, और जमीनी स्तर की समस्याओं पर विचार किया जा सके और उनका समाधान किया जा सके।

इसके अलावा, एफआरए की धारा 4(5) में निहित प्रावधानों के माध्यम से बेदखली के खिलाफ सुरक्षा के लिए प्रावधान है और पीड़ितों द्वारा एसडीएलसी और डीएलसी (धारा 6 (2) और 6 (4)) को याचिका का भी प्रावधान है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह सुनिश्चित करें कि संवैधानिक प्रावधानों और अनुसूचित जनजातियों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए विभिन्न कानूनों के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के हितों की समुचित रूप से रक्षा की जाए।

अनुलग्नक

"वैयक्तिक और सामुदायिक वन अधिकार दावे" के संबंध में 05.02.2026 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 949 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक :

राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों (01.01.2023 से 01.01.2026) के दौरान दायर किए गए दावों, संवितरित किए गए स्वामित्व अधिकार पत्र, अस्वीकृत किए गए और निपटाए गए दावों का राज्य-वार विवरण:

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	01.01.2023 से 01.01.2026 के दौरान दायर किए गए दावों की संख्या			01.01.2023 से 01.01.2026 के दौरान बांटे गए स्वामित्व अधिकार पत्रों की संख्या			अस्वीकृत दावों की संख्या	निपटाए गए दावों की कुल संख्या
		व्यक्तिगत	समुदाय	कुल	व्यक्तिगत	समुदाय	कुल		
1	आंध्र प्रदेश	3,684	0	3,684	8,686	0	8,686	3,040	11,726
2	असम	32,000	1,501	33,501	27,536	1,098	28,634	16,379	45,013
3	बिहार	-3,326	0	-3,326	70	0	70	281	351
4	छत्तीसगढ़	13,047	6,271	19,318	24,287	6,671	30,958	7,745	38,703
5	गोवा	200	10	210	556	6	562	1,248	1,810
6	गुजरात	186	0	186	7,046	195	7,241	-56,966	-49,725
7	हिमाचल प्रदेश	3,185	589	3,774	754	113	867	8	875
8	झारखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
9	कर्नाटक	3,362	78	3,440	572	1	573	15,467	16,040
10	केरल	566	74	640	1,785	92	1,877	633	2,510
11	मध्य प्रदेश	0	0	0	292	0	292	-292	0
12	महाराष्ट्र	35,218	-778	34,440	34,635	1,584	36,219	127,106	163,325
13	ओडिशा	102,953	21,347	124,300	9,875	1,646	11,521	4,109	15,630
14	राजस्थान	1,877	2,516	4,393	700	1,958	2,658	2,840	5,498
15	तमिलनाडु	-636	466	-170	7,298	616	7,914	3,218	11,132
16	तेलंगाना	447,646	619	448,265	133,301	619	133,920	0	133,920
17	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0
18	उत्तर प्रदेश	395	32	427	4,488	32	4,520	-4,025	495
19	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0
20	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0
21	जम्मू और कश्मीर	33,233	12,857	46,090	429	5,591	6,020	39,924	45,944
कुल		**673,590**	**45,582**	**719,172**	**262,310**	**20,222**	**282,532**	**160,715**	**443,247**

(कुछ राज्यों ने इस अवधि के दौरान एफआरए प्रगति में नकारात्मक रिपोर्ट दी थी, लेकिन उन्होंने स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए हैं और आंकड़ों को ठीक कर दिया है)

*****